ण्डल:- आजमगढ़,जनपद:- आजमगढ़,तहसील:- सदर

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 9234/2021

ट्रस्ट प्रबंधक प्रियंका पाण्डेय बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202115060109234

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 27/09/2022

अंतिम आदेश

मौजा-महुआमुरारपुर, परगना-मुहम्दाबाद तहसील-सदर, आजमगढ़।

निर्णय

प्रस्तुत वाद रेनबों चेरिटेबल ट्रस्ट तिवारीपुर, प्रबंधक श्रीमती प्रियंका पाण्डेय पत्नी दीपक पाण्डेय सा0 नसीरूद्दीनपुर, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ द्वारा मौजा-महुआमुरारपुर परगना-मुहम्दाबाद तहसील-सदर, आजमगढ़ के गाटा संख्या-13/13, 13/14, 13/15, 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, 13/24, 13/25, 13/26, 13/27, 13/28, 13/29, 13/30, 13/31, 13/32 कुल रकबा 5.943 एकड़ के प्रस्तावित नम्बर 97मि0/4.994 एकड़ यानी 2.021 हे0 में से 0.770 हे0 व 97/37/0.395 97/51/0.283 व 97/52/0.473 एकड़ में 0.117 हे0 कुल रकबा 0.887 हे0 भूमि को गैर-कृषिक भूमि घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है। वादी द्वारा अपने साक्ष्य के रूप में मौजा-महुआमुरारपुर की उद्धरण खतौनी, नजरी नक्शा, शपथ-पत्र स्वयं व सहखातेदार एवं उक्त भूमि का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया जो संलग्न है। तहसीलदार सदर द्वारा प्रपत्र 25(क) के भाग 1(ख), 2(ख), 3(ख) एवं 4(ख) में अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गयी हैं। तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 08.06.2021 में उल्लिखित है कि रेनबों चेरिटेबल ट्रस्ट तिवारीपुर, प्रबंधक श्रीमती प्रियंका पाण्डेय का नाम विवादित आराजी में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि में वादी द्वारा 0.887 हे0 भूमि का गैर कृषिक प्रयोग किया जा रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत शथ-पत्र व तहसीलदार की जॉच आख्या से स्पष्ट है कि आराजी सीलिंग, पट्टा व सरकारी भूमि नहीं है। उक्त आराजी कृषि कार्य में उपयोग न किये जाने के कारण अकृषिक लगानमुक्त घोषित किए जाने योग्य है। उ0प्र0 के किसी भी राजस्व न्यायालय में किसी धारा में विवादित आराजी के बावत कोई वाद विचाराधीन नही है। प्रस्तावित गाटा के सन्दर्भ में धारा 133 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित नही हुआ था। प्रश्नगत गाटा किसी महायोजना मे प्रस्तावित नहीं है। उपरोक्त विषयक आख्या प्रस्तुत करते हुये उक्त भूमि को अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या तहसीलदार सदर द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

तहसीलदार सदर की आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर दिनांक 08.06.2021 प्राप्त होने के उपरान्त मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी नेजाई में कुल 0.887 हे0 भूमि कृषि या उससे संबंधित प्रयोजनो में प्रयुक्त नहीं की जा रही हैं बल्कि गैर कृषिक प्रयोजन में उपयोग किया जा रहा है। तहसीलदार सदर द्वारा सर्किल रेट के अनुसार आगणित 01 प्रतिशत मु0 74508/-(चौहत्तर हजार पाँच सौ आठ रूपये मात्र) उद्घोषणा शुक्ल ट्रेजरी चालान से व मु0-37254/-(सैतिस हजार दो सौ चैवन रूपये मात्र) का न्याय शुल्क का गैर न्यायिक स्टाम्प (ई-स्टाम्प) वादी द्वारा अदा किया गया है, जो पत्रावली मे संलग्न है। वादी द्वारा निरीक्षण शुल्क मु0-1000/रू0 भी ट्रेजरी चालान से जमा कर दिया गया है। तहसीलदार सदर की आख्यानुसार अपेक्षित विधिक शर्ते पूर्ण हो रही है। ऐसी दशा में आराजी नेजाई को अकृषिक एवं भू-राजस्व मुक्त भूमि घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार सदर की जाँच आख्या दिनांक 08.06.2021 के आधार पर मौजा-महुआमुरारपुर के गाटा संख्या-13/13, 13/14, 13/15, 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, 13/24, 13/25, 13/26, 13/27, 13/28, 13/29, 13/30, 13/31, 13/32 कुल रकबा 5.943 एकड़ के प्रस्तावित नम्बर 97मि0/4.994 एकड़ यानी 2.021 हे0 में से 0.770 हे0 व 97/37/0.395 97/51/0.283 व 97/52/0.473 एकड़ में 0.117 हे0 कुल रकबा 0.887 हे0 भूमि जो रेनबों चेरिटेबल ट्रस्ट तिवारीपुर, प्रबंधक श्रीमती प्रियंका पांण्डेय पत्नी दीपक पाण्डेय सा0 नसीरूद्दीनपुर तहसील-सदर, आजमगढ़ के नाम अंकित है, को अकृषिक (वाणिज्यिक/व्यवसायिक प्रयोजन हेतु) एवं भू-राजस्व मुक्त भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति उपनिबंधक सदर को भेजी जाये। तदुनसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार मे दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक-27-09-2022

27/9/22

(बिमल कुमार दूबे)
उप जिलाधिकारी-सदर,
आजमगढ़।